

8-10-24

पत्रावली आज पेश हुई।


वादीनी एवं उनके अधिवक्ता अनुपस्थित।

आज अदालत समय में रूक-रूक कर तीन बार ~~बार~~ आवाजे दिलवाये जाने के बावजूद वादीनी एवं उनके अधिवक्ता में से कोई उपस्थित नहीं हुए।

अदालत उठने से पूर्व एक बार पुनः आवाज लगाई गई। फिर भी इनमें से कोई हाजिर नहीं हुए। इससे जाहीर होता है कि वादीनी एवं उनके अधिवक्ता इस प्रकरण में कोई रुची नहीं ले रहे हैं।

अतः वादीनी का राजस्व वाद अन्तर्गत आदेश 9 नियम 2 व आदेश 9 नियम 3 सीपीसी के तहत अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।

पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

  
सहायक कलेक्टर  
(SDO) धोरीमन्ना

